

प्रकरण सं० अनवान.....

Continuation Note Sheet

17.5.19

वादी/प्राथी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर
जरिए वकील प्रार्थना पत्र पेश करने पर
पञावली पेशी में ली गई। वादी/प्राथी
द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि
इस स्थान प्रार्थना पत्र में रिश्तेदारों एवं
मौजिज व्यक्तियों द्वारा राजीनामा करवा
दिया है इसलिये वह आगे कार्यवाही नहीं
करना चाहता है।

प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में
अकिंत वृथ्वा पर प्राथी को सुना गया।
पञावली का अवलोकन किया गया।
प्राथी द्वारा प्रकरण में आगे कार्यवाही
नहीं चाहने पर इस स्थान प्रार्थना पत्र
को इसी स्टेज पर खारिज किया
जाता है। दिनांक 03-01-2019 को जारी
अस्थायी स्थान आदेश को निरस्त किया
जाता है।

पञावली फौसला श्रुमार होकर बाद
तकमील जास्ता दारिवली दफतर हो।

✓
(मुकेश वारेठ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

बादरी सिंह
Identified
by me
[Signature]
[Signature]
(M.L. Mahur)
[Signature]

